



कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

पत्र संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०/०९/२०२४-२५/४२७

दिनांक- 01 जून, 2026

फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) श्रम विभाग परीक्षा- 2024

राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) के रिक्त 62 पदों पर अभिलेख सत्यापन हेतु विस्तृत सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ०चि०से०च०बो०/परी०/०९/२०२४-२५/७३८, दिनांक: 19 नवम्बर, 2025 के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) के रिक्त 62 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु जारी विज्ञापन के अनुक्रम में बोर्ड के पत्र संख्या- उ०चि०से०च०बो०/परी०/०९/२०२४-२५/३९८, दिनांक 15 मई 2026 द्वारा फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) के रिक्त 62 पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको का विवरण अनुक्रमांकवार अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया गया था।

जारी विज्ञापन में पदों की संख्या के अनुसार प्रवीणता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले श्रेणी-उपश्रेणीवार डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून में तिथिवार 15 तथा 16 जून 2026 प्रातः 10.00 बजे आमंत्रित किया जाता है:-

दिनांक 15 जून 2026 (सोमवार)-

3250241454	3250243532	3250246940	3250244019	3250243444	3250246915
3250246737	3250241285	3250241567	3250246324	3250246950	3250241426
3250244771	3250246567	3250244192	3250245394	3250243089	3250246937
3250246918	3250245740	3250242680	3250241657	3250246214	3250243899
3250245362	3250245520	3250246431	3250244559	3250245385	3250241935
3250247195	3250245495	3250245612	3250246660	3250246964	3250246534
3250246644	3250246911	3250247082	3250241353	3250247196	3250246430
3250245106	3250241245	3250245865	3250246910	3250242968	3250243531
3250246509	3250245147	3250245886	3250245261	3250246398	3250247029
3250247087	3250245178	3250246491	3250242076	3250247185	3250244258

दिनांक 16 जून 2026 (मंगलवार)-

3250245373	3250242767	3250244440	3250245372	3250243764	3250244637
3250245135	3250245192	3250246122	3250244665	3250246798	3250245986
3250246739	3250245102	3250246843	3250246565	3250245011	3250246921
3250245547	3250247239	3250246589	3250246129	3250242444	3250246018
3250245758	3250243430	3250244213	3250246688	3250241971	

श्रेणी-उपश्रेणीवार डेढ़ गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए कट-ऑफ अंक सूची-

क्रमांक	श्रेणी-उपश्रेणी	Short Term	कट-ऑफ अंक
1.	अनुसूचित जाति	SC	62.25
2.	अनुसूचित जाति-उत्तराखण्ड महिला	SC-UKW	62.50
3.	अनुसूचित जाति-उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	SC-UK Agitator	35.00
4.	अनुसूचित जनजाति	ST	63.00
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	OBC	67.50
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग- उत्तराखण्ड महिला	OBC-UKW	67.50
7.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	EWS	68.00
8.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग- उत्तराखण्ड महिला	EWS-UKW	73.25
9.	अनारक्षित	UR	73.25
10.	अनारक्षित- उत्तराखण्ड महिला	UR-UKW	75.50
11.	अनारक्षित- दिव्यांगजन	UR-Divyangjan	50.75
12.	अनारक्षित- पूर्व सैनिक	UR-EX ARMY	अनुपलब्ध
13.	अनारक्षित- उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे	UR-Orph.Chld	अनुपलब्ध
14.	अनारक्षित- कुशल खिलाड़ी	UR-Skilled Ply.	अनुपलब्ध
15.	अनारक्षित- उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	UR-Uttarakhand Agitator or Dependent	52.50

नोट:

- लिखित परीक्षा में सामान्य (Unreserved), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा आर्थिक रूप से कमजारे वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है।
- अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं अंतिम कट-ऑफ अंक सूची पृथक से जारी की जायेगी।
- फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) पद हेतु निर्धारित किये गये अभिलेख सत्यापन दिवस में यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय को पूर्व में बिना कोई सूचना दिये एवं बिना कोई समुचित कारण बताये अनुपस्थित होता है तो उसे अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा एवं पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा।
- यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किये गये तथ्यों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा अन्य वांछित अभिलेख एव प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में दायर स्पेशल अपील संख्या 66/2026, 69/2026 तथा 72/2026 में विभिन्न तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन में कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) के रिक्त 62 पदों पर की जानी वाली नियुक्ति उक्त अपीलों में पारित आदेश के अधीन होगी।
- अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की तिथि को मूल अभिलेखों के साथ सम्बन्धित अभिलेखों की 02 स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्न अनुक्रम में प्रस्तुत करेंगे:-
 - औपबन्धिक प्रवेश पत्र 01 प्रति (अनिवार्य)
 - फार्मासिस्ट (एलोपैथिक) पद हेतु किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
 - 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ। (अनिवार्य)
 - हाईस्कूल अंकपत्र (अंकतालिका)- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
 - हाईस्कूल प्रमाण पत्र- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
 - इण्टरमिडिएट अंक पत्र (अंकतालिका)- 02 स्वप्रमाणित प्रति।(अनिवार्य)

- VII. इण्टरमिडिएट प्रमाण पत्र- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
- VIII. डिप्लोमा फार्मासिस्ट (डी0 फार्मा0) कोर्स के प्रत्येक वर्ष/सैमेस्ट के अंकपत्र/अंकतालिका- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
- IX. डिप्लोमा फार्मासिस्ट (डी0 फार्मा0) का डिप्लोमा प्रमाण पत्र- 02 स्वप्रमाणित प्रति। (अनिवार्य)
- X. स्टेट फार्मसी काउंसिल उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र- 02 स्वप्रमाणित प्रति।(अनिवार्य)
- XI. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र अथवा प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा का प्रमाण पत्र (यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है) - 02 स्वप्रमाणित प्रति।
- XII. स्थाई निवास प्रमाण पत्र (यदि उल्लेख किया हो) - 02 स्वप्रमाणित प्रति
- XIII. अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के माता-पिता/पति/पत्नी आर्मी/पैरामिलिट्री/केन्द्र अथवा राजकीय विभाग में, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड राज्य से स्थानान्तरण नहीं हो सकती है, कार्यरत हैं सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है)- 02 स्वप्रमाणित प्रति।
- XIV. आरक्षण का लाभ पाने वाली अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र, जो कि विज्ञापन की अन्तिम तिथि तक नियमानुसार वैध हो। (यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है)- 02 स्वप्रमाणित प्रति।
- XV. दिव्यांगजन/स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी के आश्रित/पूर्व सैनिक/दिव्यांगजन/उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे/कुशल खिलाड़ी/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित सम्बन्धी प्रमाण पत्र (यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है) - 02 स्वप्रमाणित प्रति।
- XVI. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन नियमित रूप से कार्यरत अभ्यर्थी को सेवा नियोजक का "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" (यदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावा किया गया है) - 02 स्वप्रमाणित प्रति।
- XVII. यदि अभ्यर्थी का उपनाम (Surname/Last Name) विवाह के पश्चात् परिवर्तन किया गया है और उसका उल्लेख आवेदन पत्र में किया गया हो, इस सम्बन्ध में विवाह प्रमाण पत्र अथवा रु0 10.00 के नोटराइज शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।- 02 स्वप्रमाणित प्रति।
- XVIII. अन्य प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, - 02 स्वप्रमाणित प्रति। (यदि आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है)

अभ्यर्थी उक्त अभिलेखों को इसी क्रम में अलग-अलग दो सैट में सत्यापन पटल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सत्यापन पटल के समक्ष उपरोक्तानुसार इंगित मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के दो अलग-अलग सैट क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करेंगे। मोबाइल पर प्रस्तुत किये गये कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों के अभिलेखों की छायाप्रति करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। अभिलेख सत्यापन स्थल पर मात्र अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। अभिलेख सत्यापन स्थल पर बच्चे/बुजुर्ग/परिचित इत्यादि को साथ में लाना सख्त मना है। अंतिम परीक्षा परिणाम अभिलेख सत्यापन के उपरान्त जारी किया जायेगा।

ह0/-
(प्रदीप जोशी)
सचिव